(269)

(377)

पक्षकारों सं आदि

न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल म0प्र0ग्वालियर कैम्प रीवा, म0प्र0.

रा0निगरानी क्र0/ /016

R 5503-II/16

Rs 30/-

बुद्धसेन तिवारी तनय कौशल प्रसाद तिवारी निवासी हिडवार, तह0 मऊगंज, जिला रीवा, म0प्र0.

----आवेदक

प्रति0 श्री अखिलेश पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत/21.11.16

बनाम

01-प्रभाशंकर तिवारी तनय रामकृपाल उम्र-45 वर्ष निवासी हिडवार, तह0 मऊगंज, जिला रीवा, म0प्र0.

02- शासन म0प्र0

---- अनावेदक

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार मऊगंज, तह0 मऊगंज, जिला रीवा म0प्र0 प्रकरण क्र0 23-अ-5/14-15 आदेश दिनांक 30.06.012

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0 ।

अखिलेश पाण्डेय 21.11.2016

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त विवरण :-

॥01॥ यह कि भूमि नं0 166/1, 358/1, 1003/2, 1006/4, 10/2, 1032/1 1062/3, 1083/6-ख, 1082/3 स्थित ग्राम हिडवार, तह0 मऊगंज, जिला रीवा म0प्र0 का नक्शा तरमीम का आवेदनपत्र अनावेदक द्वारा तहसीलदार मऊगंज के यहां आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जिसमे आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया शासन म0प्र0 को पक्षकार बनाकर आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जबकि आवेदक सरहदी काश्तकार है । भूमि नं0 1003/3, 1006/1, 1032/3 भूमि आवेदक की भूमि है, जो आवेदक के भूमि से

निरंतर...

बुद्धसेन तिवारी

(269)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग.5503-II/2016 जिला–रीवा

बुद्धसेन तिवारी/प्रभाशंकर तिवारी

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शम्भूनाथ शुक्ला उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील मऊगंज के प्रकरण क्रमांक 23/अ–5/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	